रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 8, 2017/ज्येष्ठ 18, 1939
No. 462] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 8, 2017/JYAISTHA 18, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2017

आय-कर

सा.का.नि. 561(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194झख के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 30 में,--

(क) उप-नियम (2क) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2ख) उप-नियम (1) या उप-नियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 194झख के अधीन कटौती की गई किसी राशि को केन्द्रीय सरकार के खाते में उस मास, जिसमें कटौती की गई थी, के अन्त से तीस दिन की अवधि के भीतर संदाय किया जाएगा और उसके साथ प्ररूप संख्या 26थग में एक चालान-सह-विवरण संलग्न होगा ।";

(ख) उप-नियम (6क) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(6ख) जहां कटौती किए गए कर को प्ररूप संख्या 26थग में चालान-सह-विवरण के साथ जमा किया जाना है वहां इस प्रकार कटौती किए गए कर की रकम को उसे उप-नियम (2ख) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर इलैक्ट्रॉनिकी रूप में भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में विप्रेषित करके केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किया जाएगा ।";

3. मूल नियमों के नियम 31 के उप-नियम (3क) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3ख) उप-नियम (1) या उप-नियम (2) या उप-नियम (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 194झख के अधीन कर की कटौती के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति स्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र पाने वाले को प्ररूप संख्या 16ग में नियम 31क के अधीन प्ररूप संख्या 26थग में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने के लिए सम्यक तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल में सृजित और डाउनलोड करके प्रस्तुत कर सकेगा ।"।

4. मूल नियमों के नियम 31क के उप-नियम (4क) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(4ख) उप-नियम (1) या उप-नियम (2) या उप-नियम (3) या उप-नियम (4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 194झख के अधीन कर की कटौती के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उप-नियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, प्ररूप और मानकों के अनुसार उस मास के अन्त से, जिसमें कटौती की गई है, से तीस दिन के भीतर इलैक्ट्रॉनिकी रूप में प्ररूप संख्या 26थग में एक चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करेगा ।"

5. मूल नियमों में, --

(क) प्ररूप संख्या 16ख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप संख्या 16ग	
[देखें नियम 31(3ख)]	
आय-कर नियम, 1961 की धारा 203 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती के लिए प्रमाणपत्र	
प्रमाणपत्र संख्या	को अन्तिम बार अद्यतन किया गया

कटौती करने वाले का पैन	जिसकी कटौती की गई है उसका पैन	कटौती करने का वित्त वर्ष
संव्यवहार का सारांश		

क्र. सं.	विशिष्ट अभिस्वीकृति संख्या	संदत्त/जमा की गई रकम	संदाय/जमा किए जाने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	जिससे कटौती की गई है, के सम्बन्ध में कटौती किए गए और जमा किए गए कर की रकम
योग (रुपये)				

केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए जाने वाले कर के ब्यौरे, जिसके लिए जिससे कटौती की गई है, को प्रत्यय दिया जाना है

क्र. सं	जिससे कटौती की गई है, के सम्बन्ध में जमा की गई कर की रकम (रुपये)	चालान पहचान संख्या		
		बैंक शाखा का बी.एस.आर. कोड	तारीख, जिसको कर जमा किया गया है (दिन/मास/वर्ष)	चालान क्रम संख्या
1.				
2.				
योग (रुपये)				

सत्यापन

मैं...............पुत्र/पुत्री.........................की क्षमता (पदनाम में) प्रमाणित करता हूं कि..........................(रुपये)....................(रुपये शब्दों में) की कटौती की गई है और केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए हैं। मैं यह और प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा यह लेखाबहियों, दस्तावेजों, कर कटौती के चालान-सह-विवरण, जमा किए गए स्रोत पर कटौती किए गए कर और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आधारित है।

स्थान		(कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)
तारीख		पूरा नाम :";

(ख) प्ररूप संख्या 26थख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररुप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप संख्या 26थग

[देखें धारा 194झख, नियम 30 (2ख और 6ख) तथा नियम 31क (4ख)]

धारा 194झख के अधीन कर की कटौती का चालान-सह-विवरण

वित्त वर्ष	-	मुख्य शीर्ष कूट*	2	0	गौण शीर्ष कूट*	8	0	0

किरायेदार/पट्टेदार/संदाता का स्थायी खाता संख्या (पैन)	
किरायेदार/पट्टेदार/संदाता का पूरा नाम*	
किरायेदार/पट्टेदार/संदाता का पूरा पता	
	पिन
मोबाइल नं.	ई-मेल
क्या एक से अधिक किरायेदार/पट्टेदार/संदाता हैं (हां/नहीं)	
मकानमालिक/पट्टेदार/पाने वाले का स्थायी लेखासंख्यांक (पैन)	
पैन का प्रवर्ग*	पैन की प्रास्थिति*
मकानमालिक/पट्टेदार/पाने वाले का पूरा नाम	
मकानमालिक/पट्टेदार/पाने वाले का पूरा पता	
	पिन
मोबाइल नं.	ई-मेल

क्या एक से अधिक मकानमालिक/पट्टाकर्ता/पाने वाले हैं (हां/नहीं)	
किराये पर दी गई सम्पत्ति का पूरा पता	

																								पिन			

किरायेदारी की अवधि***								संदत्त किराये का कुल मूल्य (रकम रुपये में)		पिछले मास संदत्त किराये का मूल्य (रकम रुपये में)	

संदत्त/जमा की गई रकम (रूपये में)	संदाय/जमा करने की तारीख**	वह दर, जिस पर कटौती की गई है	स्रोत पर कटौती किए गए कर की रकम	कटौती करने की तारीख**

जमा करने की तारीख**								संदाय की ढंग	साथ-साथ ई-कर का संदाय	
									पश्चात्वर्ती तारीख को ई-कर का संदाय	

स्रोत पर कटौती किए गए कर के संदाय के ब्यौरे (रकम रूपये में)

स्रोत पर कर कटौती (आय-कर) (कटौती किए जाने वाले को इस रकम के कर का प्रत्यय दिया जाएगा											
ब्याज											
फीस											
कुल संदाय											

शब्दों में कुल संदाय (रुपये में)

करोड़	लाख	हजार	सैंकड़ा	दहाई	ईकाई

* स्वतः अद्यतन किया जाना है

** दिन/मास/वर्ष प्रारुप में।"।

*** किरायेदारी की अवधि के सामने उन मासों की संख्या, जिनके लिए वित्त वर्ष में सम्पत्ति किराये पर दी गई है, का वर्णन किया जाएगा ।

[अधिसूचना सं. 48/2017/फा. सं. 370142/16/2017-टीपीएल]

लक्ष्मी नारायणन, अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का. आ. तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम रूप से अधिसूचना सं. सा.का.नि. 557(अ) तारीख 07/06/2017 द्वारा संशोधित किए गए ।